न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/138/2018

प्रवेश तिथि 04.07.2018

अपीलार्थी
श्री विजयसिंह मीना
ग्राम–सैमला, पोस्ट–हसनपुर, तहसील–लक्ष्मणगढ (अलवर)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

दिनांकः 25.07.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मन पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.05.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से विवादित आ.ख.नं. 19/3 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम–सैमला, तहसील–लक्ष्मणगढ (अलवर) के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को पत्रांकः 6305 दिनांकः 10.03.18 के माध्यम से प्रस्तुत विवरण संबंधी सिविल वाद का नाम, अनुवान, मुकदमा संख्या आदि संबंधी सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 22.06.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/613–14 दिनांकः 05.07.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 12.07.18 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया एवं जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्रांकः 668–69 दिनांकः 13.07.18 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर पुनः जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः सू.अपील सं.12/138/2018/1434 दिनांकः 24.07.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मंनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अपील प्रकरण में जवाब नोटिस प्रेषित कर अवगत कराया गया कि "संबंधित प्रकरण में चाही गई सूचना ख.नं. 19/3 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम–सैमला, तहसील–लक्ष्मणगढ में राजस्व रिकॉर्ड में ख.नं. 19/3

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

(5)

रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा आराजो का अंकन नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलान्ट विजयसिंह को इस संबंध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपील खारिज करने की कृपा करें।"

8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र दिनांकः 22.06.2018 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील में आ.ख.नं. 19/2 वाके ग्राम–सैमला तहसील–लक्ष्मणगढ (अलवर) के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 01.05.18 में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने बाबत अंकन किया है जबकि प्रथम आवेदन दिनांकः 01.05.18 में वांछित **सूचना**, आ. ख.नं. 19/3 वाके ग्राम–सैमला तहसील–लक्ष्मणगढ (अलवर) से संबंधित है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन एवं प्रथम अपील में वांछित जानकारी प्रथक–प्रथक आराजी खसरा नंबरों से संबंधित है।

9. अपीलार्थी के प्रथम आवेदन एवं प्रस्तुत प्रथम अपील में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 01.05.2018 पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का विनिश्चय कर सूचित नहीं किया गया है तथापि अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर प्रथम अपील में जवाब प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की समयबद्ध पालना के प्रति उदासीनता दर्शाता है।

10. माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अनेक निर्णित प्रकरणों में माना है कि प्रथम आवेदन से विलग जानकारी प्रथम अपील स्तर पर प्राप्त नहीं की जा सकती है।

11. उक्त आलोक में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 01.05.2018 एवं प्रथम अपील प्रा0पत्र दिनांकः 22.06.2018 में विविधता होने के कारण प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध एवं विधिवत् विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित किया जावे।

12. आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे।

13. निर्णय घोषित।

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)